

22.1.2025

पत्रावली पैसा। उत्पन्न वही उपलब्ध।
 उत्पन्न अधिवक्ता की बहस सुनी गई वहा
 तथों पर मतन दिया। पत्रावली का
 आवलेख दिया गया। हस्तगत प्रकरण
 में विवाहिक आरानी मौजा सांख्य के
 खपरा संख्या 136, 367, 1961, 1962, 1963
 1964, 1965, 1966 रक्का खपरा 3-36,
 1-70, 0-07, 2-45, 0-1, 0-01, 0-02, 3-50
 हेक्टेयर आरानी का जिसमें जमीन द्वारा
 मूल वट के अंगर धारा 88, 53, 188 राजः
 कारक दासी अधिवक्ता के रहत पैसा दिया
 गया है वतगत में जमीन इन्फ आरानी
 का रेकॉर्ड आवलेख नहीं है रेकॉर्ड
 आवलेख नहीं है तो रेकॉर्ड आवलेखों
 के विरुद्ध प्रत्येक निर्धारण दिया जाता अर्थात्
 नली समझता है। अतः जमीन का जयना 40
 व्यापक में जारी किया जाता है पत्रावली
 कुशल रुमार लेख नष्ट से कम है।
 निर्णय करे इजलास सुनाया गया।

(पुनी)

सहाराक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिवक्ता, सांचौर)

